बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

–ःअधिसूचनाः–

दिनांक 01/06/26

संख्या–04/वी0मु0–20–253/24–3496 खान एवं भूतत्व विभाग बिहार राज्यान्तर्गत खनिजों के पर्यावरणीय अनुकूल एवं धारणीय खनन तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यान्तर्गत अवसंरचनाओं के तीव्र विकास के कारण पड़ोसी एवं अन्य राज्यों से भारी मात्रा में बालू, पत्थर आदि लघु खनिज लाया जाता है, जिसपर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

2. वर्त्तमान में बिहार राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले खनिजों की मात्रा, प्रकार इत्यादि के संबंध में अनुश्रवण हेतु प्रणाली लागू नहीं है। इसलिए सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों पर ट्रांजिट पास अनिवार्य किया जाना आवश्यक है।

3. इस व्यवस्था से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी तथा अन्य राज्यों से लाये जाने वाले लघु खनिजों यथा– बालू, पत्थर इत्यादि के अवैध परिवहन एवं एक ही चालान पर कई बार खनिजों की ढुलाई पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा आयातित खनिजों के आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे।

4. अतः बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–41 के तहत बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों पर 60 रूपये प्रति मीट्रिक टन अथवा 85 रूपये प्रति घनमीटर (जो भी लागू हो) की दर पर ट्रांजिट पास अनिवार्य किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक–20.02.2026 की बैठक के मद संख्या–01 में दी गई है।

6. यह दिनांक 10.06.2026 से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
01/06/2026
(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04/वी0मु0–20–253/24–3496/एम0, पटना, दिनांक–01/06/26
प्रतिलिपिः– अवर सचिव (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/06/2026
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04/वी0मु0–20–253/24–3496/एम0, पटना, दिनांक–01/06/26
प्रतिलिपिः–सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/06/2026
सरकार के सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–04 / वी0मु0–20–253 / 24–3496 / एम0, पटना, दिनांक–01/06/26

प्रतिलिपिः–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, NIC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/06/2026

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04 / वी0मु0–20–253 / 24–3496 / एम0, पटना, दिनांक–01/06/26

प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक / सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी / खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/06/2026

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04 / वी0मु0–20–253 / 24–3496 / एम0, पटना, दिनांक–01/06/26

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 20.02.2026 की बैठक में मद संख्या–01 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

01/06/2026

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04 / वी0मु0–20–253 / 24–3496 / एम0, पटना, दिनांक–01/06/26

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/06/2026

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–04 / वी0मु0–20–253 / 24–3496 / एम0, पटना, दिनांक–01/06/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/06/2026

सरकार के सचिव